<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 286/2022</u>

सत्य प्रकाश नैथानी .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम।

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित:-

श्री नीरज गर्ग, पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता।

श्री पंकज जोशी, राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर।

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय रविन्द्र मैथानी, न्यायमूर्ति(मौखिक)</u>

प्रस्तुत पुनरीक्षण में 2020 के वाद संख्या् 107 श्रीमती पूनम नैथानी और एक अन्य बनाम सत्य प्रकाश नैथानी के 12.05.2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंभ न्यायालय, देहरादून, जिला देहरादून ("मामला")द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा, निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और पुनरीक्षणकर्ता को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह प्रत्येक निजी प्रत्यर्थी को 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

3. अभिलेख से पता चलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, श्रीमती पूनम नैथानी, जो पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी हैं और श्रीमती अंशिका नैथानी, प्रत्यर्थी संख्या 3, जो पुनरीक्षणकर्ता की पुत्री हैं, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 125 के अन्तर्गत

पुनरीक्षणकर्ता से भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनरीक्षणकर्ता का विवाह 25.09.1998 को हुआ था। प्रत्यर्थी संख्या 3 उनकी पुत्री है। पुनरीक्षणकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच संबंध बिगड़ गए। प्रत्यर्थी संख्या 2 का यह मामला है कि, वास्तव में, पुनरीक्षणकर्ता ने कभी वर्ष 2005 में शिवानी रावत नाम की महिला से विवाह किया था और वह उसके साथ रह रहा है। उसने तलाक के लिए आवेदन किया। दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमे चल रहे थे। प्रत्यर्थी संख्या 2, पत्नी का यह कहना है कि वह खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। उसकी पुत्री उस पर निर्भर है, जबकि, पुनरीक्षणकर्ता एक मानचित्रकार है, वह बीटेक,(वास्तुकला) है और वह प्रति माह 3 लाख रुपये कमाता है।

4. इस आवेदन के आधार पर, मामले की कार्यवाही शुरू की गई। इस मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया गया था। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस पर कई आधारों पर आपत्ति जताई गई है।

5. यह पुनरीक्षणकर्ता का मामला है कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 दोनों संगत नहीं हैं और उनके लिए एक साथ रहना थोड़ा असंभव हो गया था, इसलिए उन्होंने तलाक लेने का निर्णय लिया। तदनुसार, आपसी सहमति से तलाक के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसे बाद में प्रत्यर्थी संख्या 2, पत्नी द्वारा वापस ले लिया गया था। पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी आपत्तियों में अपनी आय का खुलासा नहीं किया। अंतरिम भरण-पोषण आवेदनपत्र पर आपत्तियों के परिच्छेद 34 में वह लिखता है कि वह शारीरिक रूप से अक्षम है। वह अपनी आजीविका के लिए किसी तरह कमाता है, जबकि, प्रत्यर्थी संख्या 2 अध्यापन से प्रति माह लगभग 10,000-15,000 रुपये कमाती है।

6. पक्षों को सुनने के बाद, आक्षेपित आदेश द्वारा, पुनरीक्षणकर्ता को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रत्येक निजी प्रत्यर्थी को प्रति माह

15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इससे व्यथित, यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि एक वयस्क पुत्री संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है। यहां तक कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ("दत्तक ग्रहण अधिनियम") की धारा 20 के अन्तर्गत, एक विवाहित पुत्री तब तक भरण-पोषण की हकदार नहीं हो सकती है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि वह खुद का भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 736 के मामले में यह तर्क देने के लिए निर्धारित विधि के सिद्धांत पर भरोसा जताया कि भरण-पोषण पाने के लिए, एक वयस्क पुत्री को निवेदन करना होगा और तथ्यों को सिद्ध करना होगा। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3, पक्षकारों की पुत्री, ने यह निवेदन नहीं किया है कि वह स्वंयं का भरणपोषण रखने में सक्षम नहीं है। तथ्य सिद्ध भी नहीं हुए हैं। यह ऐसे मामलों में से एक नहीं है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 को अंतरिम भरण-पोषण भी मिल सकता था।

8. पुनरीक्षणकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन में निम्नलिखित बिंदुओं को भी उठाया:-

(i) प्रत्यर्थी संख्या 2 आपसी सहमति से अलग रह रही है । इसलिए वह भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।

(ii) आक्षेपित आदेश में, पुनरीक्षणकर्ता की आय का आंकलन नहीं किया गया है, जो इस आदेश को विधि के अनुसार ग़लत बनाता है।

(iii) आक्षेपित आदेश में निर्धारण के बिंदु तैयार नहीं किये गये है।

(iv) प्रत्यर्थी संख्या 3, पुत्री ने शपथपत्र दायर नहीं किया है, जैसा कि मामले रजनीश बनाम नेहा और अन्य (2021) 2 एससीसी 324. फैसले से अनिवार्य है।

9. यह सत्य है कि संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत, एक वयस्क संतान भरण-पोषण की हकदार नहीं है, जब तक कि ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण खुद का भरणपोषण करने में असमर्थ न हो। यह भी सत्य है कि मामला संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत एक आवेदन पर आधारित है, लेकिन अभिलाषा के मामले (उपर्युक्त) में फैसले को देखते हुए इस तर्क में स्वीकृति के लिए कम योग्यता है।

10.अभिलाषा के मामले में (*उपर्युक्त*), माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यहभी कहा कि यदि किसी कुटुम्भ न्यायालय के पास संहिता की धारा 125 के साथ-साथ दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 20 के तहत किसी मामले पर फैसला करने की अधिकारिता है, तो एक वयस्क पुत्री को भी भरणपोषण दिया जा सकता है ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके। परिच्छेद 9 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचारहेतु प्रश्न इस प्रकार बताए है:-

> **9.** वर्तमान मामले में उत्तहर दिया जाने वाला प्रश्ना यह है कि
>
> क्या एक हिंदू अविवाहित पुत्री आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत अपने पिता से केवल तब तक भरणपोषण का दावा करने की हकदार है जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती है या वह तब तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है जब तक वह अविवाहित रहती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1), जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:-
>
> 125. पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश -
>
> (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति-
>
> (a) उसकी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या
>
> (b) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या नहो, भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
>
> (c) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी

संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(d) अपने पिता या माता, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है।

XXXXXXXXXXXXXXXXxxx"

11. परिच्छेद 32 और 33 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार विचार किया: –

"**32.** कुटुम्भ न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधिनियमन के बाद, एक कुटुंभ न्यायालय के पास भी पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाली अधिकारिता होगी। कुटुम्भ न्यायालयों के पास केवल उस शहर या कस्बे के संबंध में अधिकारिता होगी, जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है, जहां कोई परिवार न्यायालय नहीं है, धारा 125 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए। एक ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुम्भ न्यायालय स्थापित नहीं है, अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अन्तर्गत कार्यवाही सहित भरणपोषण के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही केवल जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय के समक्ष होगी।

"**33.** एक ऐसा मामला हो सकता है जहां कुटुम्भ न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत एक मामले के साथ-साथ अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अन्तर्गत मुकदमे का फैसला करने की अधिकारिता है, ऐसी स्थिति में, कुटुम्भ न्यायालय दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अधिकारिता का उपयोग कर सकता है और एक उचित मामले में अविवाहित पुत्री को भरण-पोषण दे सकता है, भले ही अधिनियम,1956 की धारा 20 के अन्तर्गत अपने अधिकार को लागू करने वाली वह पुत्री

वयस्क हो, ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके, जैसा कि जगदीश जुगतावत (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रेक्षित किया गया। हालांकि मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता है।

12. यह सत्य है कि भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के भरण-पोषण के अधिकार का निवेदन करना होगा तथा उसे सिद्ध करना होगा। इस कथन पर कोई विवाद नहीं हो सकता। यह नहीं कहा जा सकता है कि जो आवेदन दायर किया गया है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय को भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए दावेदार की पात्रता का आंकलन करना होगा।

13. यह भी सत्य है कि आक्षेपित आदेश में, पुनरीक्षणकर्ता की मासिक आय पर कम चर्चा की गई है। न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता से जानना चाहा कि पुनरीक्षणकर्ता ने रजनेश(उर्पयुक्त) के मामले में फैसले के अनुसरण में दायर अपने शपथपत्र में अपनी प्रति माह आय कितनी बतायी थी । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत किया कि आयका खुलासा नहीं किया गया, इसके बजाय, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह लिखा गया है कि वह एक विकलांग है और उसका बायां हाथ लंबे समय से काम नहीं कर रहा है।

14. न्यायालय ने इस स्तर पर गहन जांच करने से परहेज किया यह कहना पर्याप्त है कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी आय का खुलासा नहीं किया। अंतरिम भरण-पोषण आवेदन पर दायर अपनी आपत्तियों में, परिच्छेद 34 में, वह लिखता है कि वह कुछ व्यक्तियों से काम लेकर अपनी आजीविका कमाता है। सवाल यह है कि वह हर महीने कितना कमाता है? जैसा कि कहा गया है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुनरीक्षकर्ता प्रति माह लगभग 3 लाख रुपये कमाता है। वह बी-टेक (वास्तुकला) हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि आय का आंकलन नहीं किया गया है, आक्षेपित आदेश को गलत, अवैध या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

15. यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, लेकिन पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अभिलेख पर कुछ भी इंगित नहीं कर सके, जो इसे स्थापित कर सके। यह एक तथ्य है कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन तथ्य यह भी है कि इसे बाद में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा वापस ले लिया गया था। आपसी सहमति से तलाक के लिए मुकदमा दायर करना एक बात है और आपसी सहमति से अलग रहना काफी अलग है। कुछ परिस्थितियों में, एक छत के नीचे रहने वाले पक्ष आपसी सहमति के आधार पर तलाक के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन, एक ही समय में, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पक्ष मुकदमेबाजी में नहीं हैं, लेकिन आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक के लिए मुकदमा दायर किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्ष आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। इस तर्क की स्वीकृति में भी कम बल है।

16. यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3, पुत्री ने निवेदन नहीं किया है और नही यह सिद्ध किया है कि वह स्वयं के भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है। यह आदेश अंतरिम भरण-पोषण के स्तर पर पारित किया गया है। संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत आवेदन प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। यदि अनुरोध नहीं किया गया है तो उन चीजों को खारिज कर दिया गया है। जहां तक प्रमाण का संबंध है, यह एक चरण है, जो अभी आना बाकी है। आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, पत्नी, स्वयं का भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है। यह भी लिखता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3, पुत्री , प्रत्यर्थी संख्या 2 पर निर्भर है। इसका अर्थ है, कि प्रत्यर्थी संख्या 3 स्वयंका भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। केवल इसलिए कि स्पष्ट रूप से ऐसा कोई दृढ़ कथन नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने यह नहीं कहा है कि वह स्वियं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है।

17. यह भी तर्क दिया गया कि निर्धारण के बिंदु तय नहीं किए गए है। यह ऐसी आपत्ति नहीं है, जो आदेश को अवैध करार दे। न्यायालय ने हर पहलू पर एक निष्कर्ष दर्ज किया है। प्रत्यर्थी संख्या 2, पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी का यह आरोप रहा है कि पुनरीक्षणकर्ता ने किसी अन्य महिला से विवाह किया था । परिच्छेद 7 में दिए गए आदेश में एक दस्तावेज का संदर्भ दिया गया है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था, जिससे पता चलता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने शिवानी रावत नाम की एक महिला से शादी की थी। अपने संपत्ति यों और उत्तरदायित्वों के संबंध में दायर शपथपत्र में पुनरीक्षणकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह शिवानी रावत के घर में रह रहा है। क्या यह प्रत्यर्थी संख्या 2 की इस निवेदन का समर्थन करता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने शिवानी रावत से विवाह किया था ? इन सभी मुद्दों को मामले के अंतिम निर्धारण के बाद निर्धारित किया जाएगा।

18. तथ्यों की संपूर्णता पर विचार करने के उपरान्तद्रइस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश विधि के अनुसार है। इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता, त्रुटि या अनौचित्य नहीं मिला। इस न्यायालय को कोई हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। तदनुसार, पुनरीक्षण के अंगीकरण स्तिर में ही निरस्त्ंकिए जाने योग्य है।

19. पुनरीक्षण आरम्भा में ही निरस्त्ंकिया जाता है।

(रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति)

16.11.2022

रवि बिष्ट